

पालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/83/2024

बनाम

बलवीर

पदम वगैरा

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

05.2024

वकील प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकिल सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एकपक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तरीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 718, 723, 781, 782, 788, 794, 875, 900 वाके ग्राम तिगरिया तहसील कठूमर में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चुकिं एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिये कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बावत् कोई उज्र हो तो दिनांक 20.06.2024 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 20.06.2024 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)

20/6/24

सुबाब चेंरीकेन 14/06/24
बाह्य ...
पत्रावली दिनांक 23/7/24
को पेश हो।

15/11/26

पुनः पुरोहित पत्र-1/2
वापस... 2.10.26 अदिगा
पत्रावली दिनांक 6/11/26
को भेज दो।



6/11/26

पत्रावली भेज हुई। आज बाद ऐसा, वे कां
एवमित्त रूप रजा है। P.O. साहब 4/11/26 को
पत्रावली दिनांक 0/2/26 भेज दो




10/11/26

वकील प्रार्थी


आवेदन दिनांक

मालना में पत्रा भी वास्ते... हलकी 1/11/26
दिनांक 10/11/26 को भेज दो।


कलम (असल)

17/3/26

वकील प्रार्थी अपादिता मही वकील प
अडे प्रार्थी से वापस 2 आवाज दिनांक
गडि गेडि अपादिता मही आभी अडि
प्रार्थी का अपादिता मही वकील प्रार्थी
के अडम पैनी - अडम हाजरी में
की हजेज पत्रावली दिनांक 17/3/26
पत्रावली दिनांक 17/3/26 को भेज दो।


SDOX